कार्यालय कलेक्टर एवं जिला परियोजना संचालक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिला जांजगीर चांपा

आदेश

क्रं./110/ आरएमएसएम/2016–17/ जांजगीर दिनांक 20.5.2016

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रं./एफ 13–5/2016/20– तीन (1) नया रायपुर दिनांक 30.3.2016 एवं लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रं./योजना/मॉडल स्कूल/2015–16/542 नया रायपुर दिनांक 30.03.2016 के तहत दिनांक 25 अप्रैल 2016 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश उपरांत जिले में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा संचालित 59 मॉडल स्कूलों को छ.ग. शासन द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, इनका संचालन PPP मोड आधारित होगा, इस संबंध में जिले में संचालित मॉडल स्कूल कुटराबोड़ विकासखण्ड पामगढ़ में छात्रों की प्रवेश 2016–17 के संबंध में निम्नानुसार प्रवेश नियम जारी किया जाता है–

क/ इसमें 04 तरह के विद्यार्थी अध्यापन करेंगे–

1. इसमें 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा
2. कक्षा 1ली से 8 वीं तक 25 प्रतिशत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चयनित विद्यार्थी
3. वर्तमान में नामांकित विद्यार्थी
4. निजी संस्था द्वारा खुली भर्ती से भरे जाने वाले विद्यार्थी

ख/ विद्यार्थियों का नामांकन

1. किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 90 होगी। इनमें से संस्था द्वारा 60 विद्यार्थियों का खुली प्रवेश के माध्यम से 23 विद्यार्थियों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार तथा 07 विद्यार्थियों का निःशुल्क शासकीय कोटा से नामांकन किया जावेगा।
2. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति से 02 से ज्यादा सेक्शन भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
3. कक्षा 6वीं में कोई भी नया नामांकन कलेक्टर स्तर पर नहीं किया जाएगा।

ग/ नामांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः–

1. 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा–

a. निजी संस्था द्वारा 1 ली से 12 वीं तक अधिकतम रिक्त स्थानों के आधार पर 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के विद्यार्थियों का अध्यापन कराया जाएगा।

b. आवेदित विद्यार्थियों हेतु जाति या माता–पिता का आये की सीमा निर्धारित नहीं रहेगी।

c. आवेदित विद्यार्थियों के पालकों को संबंधित विकासखण्ड का निवासी होना आवश्यक है।

d. केन्द्र शासन/राज्य शासन के कर्मचारी अगर पालक हैं, तो उनके लिए विकासखण्ड की निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी।

e. यदि निजी संस्था किसी भी कक्षा में रिक्त स्थानों पर नामांकन करती है, तो सर्वप्रथम 8 प्रतिशत शासकीय कोटा एवं 25 प्रतिशत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेश कराये जाने के पश्चात् ही शेष रिक्तियों पर विद्यार्थियों का दाखिला कर सकेगी।

f. इनका नामांकन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

PRINCIPAL ... School
...ukhya M... ...